मेसर्स डीएलएफ पावर लिमिटेड

बनाम

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड व अन्य

11 जुलाई, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत व लोकेश्वर सिंह पंटा, न्यायमूर्तिगण]

विद्युत विधि:

विद्युत शुल्क-विद्युत क्रय समझौते का निर्धारण-अपीलकर्ताओं के विद्युत संयंत्रों के चालू होने तक की लागत के पूंजीकरण के सत्यापन की आवश्यकता-इस उद्देश्य के लिए लागत लेखाकारों को नियुक्त करने का निर्देश।

प्रतिवादी नंबर 1 ने राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2005 द्वारा संशोधित दिनांक 4 दिसंबर, 2004 के आदेश को चुनौती देते हुए विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील को अयोग्य और अपोषणीय होना बताते हुए खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपीलें दायर की गई। सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय को प्रतिष्ठित लागत लेखाकारों द्वारा

रजरप्पा और गिदी में अपीलकर्ताओं के विद्युत संयंत्रों को चालू करने तक की लागत के पूंजीकरण के सत्यापन की आवश्यकता महसूस हुई।

मामलों को स्थगित करते हुए व कुछ दिशानिर्देश जारी करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया:

मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग, की लागत लेखा शाखा के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कोल इंडिया लिमिटेड और मेसर्स डीएलएफ पावर कंपनी लिमिटेड के बीच विद्युत खरीद समझौते के लिए सूत्र के आधार पर उपरोक्त दोनों संयत्रों के लिए वास्तविक पूंजी लागत निर्धारित करने का निर्देश दिया जाता है। लागत लेखा शाखा की रिपोर्ट की प्रतियां पक्षकारों को दी जाएंगी और राज्य आयोग को भी सौंपी जाएंगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आयोग दोनों विद्युत संयंत्रों के लिए पक्षकारों के बीच विद्युत क्रय समझौते की शर्तों के अनुसार शुल्क का निर्धारण करेगा। सत्यापन के उद्देश्य से, लागत लेखा शाखा को आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्री व सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाएगी। लागत लेखा शाखा से रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर राज्य आयोग शुल्क का निर्धारण करेगा। शुल्क आदेश की प्रतियां पक्षकारों को जारी की जाएंगी और इस न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएंगी। मामले में मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग के चार्टर्ड अकाउंटेंटस यदि कोई कठिनाई व्यक्त करते हैं, तो तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, नेवेली

लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लागत लेखा विंग, ऊपर दिए गए निर्देशानुसार कार्य करेगा। [पैरा 5] [268-एफ-एच; 269-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 3109 वर्ष 2006

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की अपील संख्या 166/2005 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.05.2006 के संबंध मे।

साथ में

सिविल अपील संख्या 3561 वर्ष 2006

एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता, कमल बुद्धिराजा, अमित ढींगरा, निशांत मेनन, मनु शेषाद्रि, ऋचा मिश्रा (दुआ एसोसिएट्स की तरफ से), अजीत कुमार सिन्हा, कमलेंद्र मिश्रा और शिराज कॉन्ट्रैक्टर पाटोदिया, उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया द्वारा

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति

1. इन अपीलों में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में अपीलीय न्यायाधिकरण) द्वारा पारित 11 मई, 2006 के आदेश को चुनौती दी गई है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रांची (संक्षेप

में 'राज्य आयोग') द्वारा पारित आदेश दिनांक 4 दिसंबर, 2004 संशोधित द्वारा आदेश दिनांक 28.2.2005 को अपास्त कराने के लिए अपील दायर की गई थी।

2. अपील का निस्तारण करते समय, अपीलीय न्यायाधिकरण ने निम्नानुसार निर्धारित किया:

"परिणामतः -

(i) पहले बिंदु पर, हमारा मानना हैं कि विनियामक आयोग के पास विद्युत अधिनियम 2003 के संदर्भ में अपीलकर्ता, एक उपभोक्ता और दूसरे प्रतिवादी जनरेटर के बीच शुल्क निर्धारित करने का न तो प्राधिकार है और न ही क्षेत्राधिकार, जो एक शुद्ध और सरल वाणिज्यिक लेनदेन है, जिनका संबंध मौजूदा पीपीए द्वारा शासित होता है। हम यह भी मानते हैं कि यह विद्युत अधिनियम 2003 के एक या अधिक प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले नियामक आयोग द्वारा कोई आदेश या शुल्क निर्धारण/आदेश नहीं है, जो अकेला ही अपीलीय है।

(ii) दूसरे बिंदु पर, हम मानते हैं कि नियामक आयोग ने पक्षकारों द्वारा संदर्भित विवाद का एक विशेषज्ञ मध्यस्थता न्यायाधिकरण के रूप में समाधान करते हुए पक्षकारों के बीच निर्धारित पीपीए की शर्तों के अनुसार पंचाट पारित कर दिया और यह एक वैध रूप से सृजित मध्यस्थता

न्यायाधिकरण द्वारा पारित मध्यस्थता पंचाट की सभी शक्तियों के साथ प्रभावी है।

(iii) तीसरे बिंदु पर, हमारा मानना हैं कि विद्युत के अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील पोषणीय नहीं है तथा अपील पोषणीय नहीं होने के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि विधितः इस पर कोई विवाद नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट के विरुद्ध इस अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील पोषणीय नहीं है।

(iv) अंतिम बिंदु पर, हम मानते हैं कि राज्य नियामक आयोग द्वारा विवाद का समाधान मध्यस्थ कार्यवाही के माध्यम से होता है तथा यह एक पंचाट है जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। हमारे पास मध्यस्थता के द्वारा आक्षेपित शुल्क के निर्धारण में हस्तक्षेप करने का न ही तो क्षेत्राधिकार है तथा न ही प्राधिकार है।

(v) परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता के विरुद्ध सभी बिंदुओं का उत्तर दिया गया है और अपीलकर्ता इस अपील में किसी भी अनुतोष का अधिकारी नहीं पाया जाता है।"

3. अपील को अक्षम और पोषणीय नहीं होना मानते हुए निरस्त कर दिया गया।

4. अपील की सुनवाई के दौरान हमें यह प्रकट हुआ है कि रजरप्पा और गिदी में अपीलकर्ताओं के बिजली संयंत्रों के चालू होने तक हुई लागत के

पूंजीकरण का सत्यापन कराए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए प्रतिष्ठित लागत लेखाकारों से सत्यापन करना होगा और इस प्रयोजन के लिए हमने पक्षकारों से नाम सुझाने की अपेक्षा की है। इसपर अपीलकर्ताओं ने तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम प्रस्तावित करते हुए, उत्तरदाताओं ने यह सुझाव दिया है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लागत लेखाकार इकाई द्वारा किया जाएगा।

5. हमने सुझाए गए नामों पर विचार किया। हम निर्देश देते हैं कि मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग की लागत लेखा शाखा के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उपरोक्त दोनों संयंत्रों कोल इंडिया लिमिटेड तथा मेसर्स डीएलएफ पावर कंपनी लिमिटेड के बीच विद्युत क्रय समझौते के सूत्र के आधार पर वास्तविक पूंजीगत लागत निर्धारित करे। लागत लेखा शाखा की रिपोर्ट की प्रतियां पक्षकारों को दी जाए तथा राज्य आयोग को भी प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आयोग दोनों विद्युत संयंत्रों के लिए पक्षकारों के बीच विद्युत क्रय समझौते की शर्तों के अनुसार शुल्क का निर्धारण करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सत्यापन के उद्देश्य से, लागत लेखा शाखा को आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्री व सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाएगी। लागत लेखा शाखा से रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर राज्य आयोग शुल्क का निर्धारण करेगा। शुल्क आदेश की प्रतियां पक्षकारों को जारी की

जाएंगी और इस न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएंगी। मामले में मैसर्स अन्स्र्ट एंड यंग के चार्टर्ड अकाउंटेंटस यदि कोई कठिनाई व्यक्त करते हैं, तो तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लागत लेखा विंग, ऊपर दिए गए निर्देशानुसार कार्य करेगा।

6. इन मामलों को फरवरी, 2008 में प्रस्तुत किया जाए।

बी.बी.बी.

मामला स्थगित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सलीम बादर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।